भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1762

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

एनएचएआई के निर्माण संबंधी मानक

1762. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपनाए गए निर्माण जैसे इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री गुणवत्ता मानकों और परवर्ती रखरखाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और अम्बाला-यमुनानगर-हरिद्वार राजमार्ग के निर्माण में ठोसपन, सामग्री, असमतलतापन सूचकांक आदि की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सड़कों की गुणवत्ता का आकलन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे का निर्माण और रखरखाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार किया जाता है। प्रासंगिक कोड/विनिर्देश नामत: सड़क और पुल कार्यों के लिए विनिर्देश-2013 (5वां संशोधन), सड़क और पुल कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आईआरसी:एसपी-112- मैनुअल, राजमार्गों के दो/चार/छह लेन के लिए विनिर्देशों और मानकों का आईआरसी:एसपी-73/84/87-मैनुअल और एक्सप्रेसवे के लिए विनिर्देशों और मानकों का आईआरसी: एसपी-99- मैनुअल हैं।

(ख) आईआरसी/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मानक/विनिर्देश के अनुसार कॉम्पैक्शन, सामग्री, रफनेस इंडेक्स आदि के संदर्भ में निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड पर निष्पादित किया गया था और निर्माण 26.05.2018 को पूरा हुआ था। परियोजना की दोष देयता अवधि 10.11.2022 तक थी। आज की तारीख के अनुसार परियोजना को टीओटी रियायतग्राही को सौंप दिया गया है और रियायत समझौते में निर्धारित शर्तों, विनिर्देशों और दायित्वों के अनुसार बनाए रखा गया है।

इसके अलावा, परियोजना के लिए नियुक्त स्वतंत्र अभियंता द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जाती है।

अंबाला-यमुनानगर खंड (हरियाणा) का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड पर किया गया था। परियोजना की दोष देयता अवधि भी समाप्त हो गई है और परियोजना को एनएचएआई ने अपने अधीन ले लिया है। दोष देयता अवधि समाप्त होने पर परियोजना को अपने अधीन लेने से पहले, एक टीम द्वारा निरीक्षण कराया गया और टीम ने कुछ टिप्पणियां की और कुछ दोषों के सुधार का प्रस्ताव दिया। ईपीसी ठेकेदार द्वारा टिप्पणियों का अनुपालन किया गया और बाद में एक खंड को छोड़कर डीएलपी को मंजूरी दे दी गई और परियोजना को एनएचएआई को सौंप दिया गया। इसके बाद, ओ एंड एम एजेंसी द्वारा परियोजना राजमार्ग का नियमित रखरखाव और घटना प्रबंधन किया जा रहा है। ईपीसी ठेकेदार द्वारा मुलाना (अंबाला) से यमुनानगर तक के खंड में कुछ दोषों का सुधार नहीं किया गया था, जिसके लिए ईपीसी ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की वसूली की गई है।

यमुनानगर-छुटमलपुर-रुड़की खंड का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) मोड पर किया गया था और यह खंड दोष देयता अवधि के अधीन है। रियायतग्राही, रियायत समझौते में उल्लिखित मानकों के अनुसार परियोजना खंड का रखरखाव कर रहा है। इसके अलावा, परियोजना के लिए नियुक्त स्वतंत्र अभियंता द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जा रही है।

रुड़की-हरिद्वार परियोजना को आइटम रेट मोड पर निष्पादित किया गया था। आज की तारीख के अनुसार परियोजना दोष अधिसूचना अवधि में है और ठेकेदार द्वारा पहचाने गए दोषों का सुधार किया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, एनएचएआई अपेक्षित मानकों और विनिर्देशों का अनुसरण करते हुए कार्यों की गुणवत्ता का कड़ाई से अनुपालन करता है। निर्माण और रखरखाव के दौरान कार्य की गुणवत्ता की दिन-प्रतिदिन निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना पर पर्यवेक्षण परामर्शदात्री फर्म नियुक्त की जाती हैं। एनएचएआई निर्माण के दौरान और परियोजना को अपने अधीन लेने से पहले विशेषज्ञों की स्वतंत्र टीम के माध्यम से गुणवत्ता ऑडिट/निरीक्षण भी कराता है।

*****